COMFED

बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड
ईकाइः– नालन्दा डेयरी, बिहारशरीफ
विजवनपर, पो0–राणा बिगहा, बिहारशरीफ
ई–मेल–nalandadairy@gmail.com

कॉम्फेडःएन0डी0ःविपणनः 1592 दिनांक–06.07.2026

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधा होल–डे मिल्क पार्लरो के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, पटना की इकाईः–नालन्दा डेयरी, बिहारशरीफ के क्षेत्राधीन राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट –2 कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधा उत्पादों के विपणन में वृद्धि के साथ–साथ बिहार के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के नालन्दा जिला, नवादा जिला एवं शेखपुरा जिला में जिला प्रशासन /संस्थानो द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमुख तेरह स्थलों पर प्री–फैब्रिकेटेड सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का निर्माण कराया गया है, जिसका आवंटन किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति, जो बिहार राज्य के स्थाई निवासी हो तथा पात्रता पूरी करते हो, से सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता निविदा प्रपत्र एवं निविदा का नियम व शर्तें कॉम्फेड की बेवसाईट **www.sudha.coop** से डाउनलोड कर सकते है। अथवा नालन्दा डेयरी, बिहारशरीफ के लेखा शाखा से निविदा प्रपत्र शुल्क भुगतान कर दिनांक–09.07.2026 से दिनांक–03.08.2026 के संध्या 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है।

वेबसाईट पर निविदा दस्तावेजों की उपलब्धताः– 09.07.2026 से 03.08.2026 तक
निविदा फार्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथिः– 10.08.2026 के सध्या 5:00 बजे तक
स्थल की सूची जहाँ के लिए आवेदन आमंत्रित हैंः–

क्र0सं0	स्थल का नाम	जिला का नाम	निविदा प्रपत्र का शुल्क (गैर वापसी योग्य)	अग्रधन की राशि	न्युनतम मासिक किराया
01	अनुमंडलीय अस्पताल परिसर, हिलसा	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
02	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, परवलपुर	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
03	प्रखण्ड कार्यालय परिसर ,चंडी	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
04	प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र परिसर, रहुई	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
05	रेफरल अस्पताल परिसर, कल्याण बिगहा	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
06	प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र परिसर, सरमेरा	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
07	रेफरल अस्पताल परिसर, चंडी	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
08	सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र परिसर, नुरसराय	नालन्दा	1,000/–	10,000/–	750/-
09	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, अरिअरि	शेखपुरा	1,000/–	10,000/–	750/-
10	प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र परिसर, गिरिहिंडा	शेखपुरा	1,000/–	10,000/–	750/-
11	ग्राम पंचायत भवन परिसर, सर्वा	शेखपुरा	1,000/–	10,000/–	750/-
12	प्रखण्ड कार्यालय परिसर, कौआकोल	नवादा	1,000/–	10,000/–	750/-
13	प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र परिसर, पकरीबरमा	नवादा	1,000/–	10,000/–	750/-

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सभी निविदायों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालक

नालन्दा डेयरी, बिहारशरीफ डेयरी प्रोजेक्ट
(बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० की इकाई)
विजवनपर, पो०–राणा बिगहा, बिहारशरीफ
ई–मेल–nalandadairy@gmail.com

चेकलिस्ट

अनुलग्नकः–   निशान(√) लगावें

1) पासपोर्ट आकार का फोटो

2) पहचान पत्र / आधार कार्ड की छाया प्रति (अनिवार्य)

3) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति

4) बैंक पासबुक (बचत अथवा चालू) जमा विवरण की छाया प्रति (अनिवार्य)

5) पैन कार्ड की छाया प्रति (अनिवार्य)

6) निर्धारित अग्रधन राशि का बैंक ड्राफट, निबंधन राशि का बैंक ड्राफट अथवा ऑफ लाईन निविदा प्रपत्र लेने पर मनि रसीद कि मुल प्रति (अनिवार्य)

7) चरित्र प्रमाण पत्र (अनिवार्य)

8) स्थाई निवास प्रमाण पत्र (अनिवार्य)

9) चिकित्सा प्रमाण पत्र

10) एक लाख रू० का (1,00,000) फिक्स डिपोजिट अथवा संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट की छाया प्रति (अनिवार्य)

11) आवेदक का स्व घोषणा प्रमाण पत्र (अनिवार्य)

12) तकनीकी बीड एवं वित्तिय बीड दोनो अलग–अलग लिफाफा मे सीलबन्द कर पुनः दोनो लिफाफा को एक बड़ा लिफाफा मे सील बंद कर भेजा जाएगा।

13) निविदा फॉर्म कुल छः (06) पृष्टो मे है।

14) शैक्षणिक योग्यता (साक्षर) ....
(कृप्या प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे)

15) उम्र (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि उम्र न्यूनतम–21 वर्ष..............................(कृप्या जन्म प्रमाण पत्र, कोई अन्य दस्तवेज या दसवी पास का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें जिसमे जन्म तिथि उल्लेखित है।)

16) स्व घोषण प्रमाण पत्र ....
(आवेदक द्वारा संलग्नित स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

17) क्या आवेदक स्वस्थ है। हॉ / नही(कृप्या उपयुक्त मे सही (√) का निशान लगावें)

संबंधित संघ / इकाई / कॉम्फेड द्वारा मॉग किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल प्रति मे संलग्नित करना होगा।

18) निविदा में आमंत्रण हेतु निबंधन शुल्क एवं अग्रधन राशिः–

(आवेदनकर्ता निर्धारित रजिस्ट्रेशन फी रू0 1,000/– (एक हजार रू0) एवं अग्रधन की राशि रू0 10,000/– (दस हजार रू0) का डिमांड ड्राफ्ट जो अलग–अलग हो जो ''बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन लि0'' (BIHAR STATE CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION LTD) के पक्ष में तथा बिहारशरीफ में भुगतेय हो।

19) व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता ....

(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रू 1,00,000 (एक लाख) होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में प्रदर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।

नोटः– सभी प्राप्त निविदाये दिनांक 12.08.2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे से नालन्दा डेयरी में खोली जाएगी। सभी निविदा दाताओं से आग्रह है कि निविदा खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
(आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

- ➢ सुधा मिल्क पार्लर हेतु आवेदन करने से पहले निविदादाता/आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ समझ लें।
- ➢ क्रम संख्या 1 से 19 तक अनिवार्य सभी शर्तों को पुरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेगे।
- ➢ सफल उम्मीदवारों को कार्य के आवंटन से पहले FSSAI License प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होंगा।
- ➢ तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता का वित्तीय निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं वितीय निविदा नहीं खोला जायेगा।

खंड–I

(तकनीकी निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

(हाल के पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ)

1. जिला का नाम : ....

2. आवेदित स्थल का नाम : ....

   (कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)

3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में): ....

4. आवेदक का पता

   (क) वर्तमान पता : ....
   ....
   ....

   (ख) स्थायी पता : ....
   ....
   ....

   (कृपया क्रम संख्या 3 (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

5. मोबाईल नम्बर : .... ई–मेल : ....

6. आवेदक का आधार कार्ड संख्या: ....
   (कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

7. पैन कार्ड नम्बर : ....
   (कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

8. स्थायी निवास प्रमाण पत्र : ....

खंड–II
(वित्तीय निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

1. जिला का नाम : ....
2. आवेदित स्थल का नाम : ....
   (कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है) .
3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में): ....
4. सुधा होल–डे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु समर्पित किये जाने वाले दर (रू0 प्रतिमाह)

   अंकों में ....

   शब्दों में ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....

स्व घोषणा प्रमाण पत्र

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं अथवा नहीं ।

हॉ/ नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही √ का निशान लगावें)

2. मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना या कॉम्फड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/हैं अथवा नहीं ।

हॉ/ नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही √ का निशान लगावें)

यदि 2 का उत्तर हॉ हैं, तो निम्न ब्यौरा भरें ।

मैं (आवेदक का नाम)..

स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्री मती (कार्यरत कर्मी का नाम) ....

....

(संघ/इकाई का नाम)...के

(पदनाम)... के पद पर

(पदस्थापन का स्थान) ....में कार्यरत है,

एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध)...हैं ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मै एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मै इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या/गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा। मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मै उतरदायी होऊँगा/होऊँगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....

(1) <u>चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रणः–</u>

1.1 प्री–फेब्रीकेटेड सुधा–होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना संघ के वेबसाईट www.sudhandp.com एवं कॉम्फेड के वेबसाईट www.sudha.coop पर उपलब्ध है।

1.2 एक निविदादाता/आवेदक कोई एक ही स्थान/होल–डे मिलक पार्लर के लिए निविदा समर्पित कर सकेंगें। एक से अधिक स्थान/होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा समर्पित करने की स्थिति में उनके द्वारा समर्पित सभी विविदाओं को रद्द कर दिया जायेगा।

1.3 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतू आवेदन पत्र ऑफलाईन द्वारा निविदा दो बोली प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वितीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवार का ही वितीय निविदा खोला जायेगा, जिसमें बुथ संचालन हेतु अधिकतम दर समर्पित करने वाले को वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत बुथ संचालन कार्य आवंटित किया जायेगा। अवेदन से सम्बन्धित जानकारी दिशा–निर्देश एवं नियम व शर्ते इस निवदि के साथ वेबसाईट पर भी दी गयी है। आवेदक से अनरोध है कि निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व इसमें निहित सभी नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ले।

1.4 आवेदक तकनीकी निविदा (खण्ड–1) के फॉर्म को भर कर उसमें मॉगी गयी जानकारीयों का ब्यौरा एवं सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा–1) में सील बंद करेंगें। लिफाफा–1 के उपर ''उतनीकी निविदा'' अवश्य लिखें।
वितीय निविदा (खण्ड–11) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा–2) में आवेदक अपनी वितीय दर समर्पित कर उसे सील बंद स्थिति में समर्पित करेगें। लिफाफा–2 के उपर ''वितीय निविदा'' अवश्य लिखें।
उपरोक्त वर्णित दोनों लिफाफा (लिफाफ–1 एवं लिफाफा–2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा–3) में डालकर उसे सील बंद करेंगे।
आवेदक अपने सभी तीनों लिफाफे पर ''राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट–2 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल–डे मिलक पार्लर के आवंटन हेतू आवेदन'' एव ''आवेदित स्थल का नाम'' के साथ–साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाईल/दूरभाषा नं0 आवश्य लिखेंगे।

1.5 निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

1.6 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों की जॉब संघ के नामित समिति द्वारा की जायेगी।

1.7 चयनित उम्मीदवार को निविदा प्रक्रिया में दिये गये दस्तावेजों को सत्यापन हेतू मूल दस्तावेज संघ के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।

1.8 आवेदनों की जॉच के उपरान्त एक से अधिक पात्र उममीदवारों के द्वारा समर्पित की गयी अधिकतम दर समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में समान रूप से अधिकतम दर समर्पित करने वाले पात्र उम्मीदवारों के बीच के लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।

1.9 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध के आगे की प्रक्रिया सुरक्षा राशि जमा करना और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया संघ द्वारा किया जायेगा। निर्गत औपबंधिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) / आवंटन आदेश की एक प्रति कॉम्फेड मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

1.10 यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त अथवा तकनीकी कारणें से आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है, तब शेष बचे सभी आवेदकों में से ही अधिकतम दर समर्पित करने वाले को चयनित किया जायेगा। चयन के उपरान्त यदि चयनित आवेदक के द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता हैं, तो ऐसी स्थिती में दूसरा सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदादाता को प्रथमतया सबसे अधिक समर्पित करने वाले दर पर ही काम करने की सहमति ली जायगी। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही उन्हे आवंटन हेतू अग्रेतर कार्यवाही की जायगी।

यदि दूसरा निविदादाता भी प्रथमतया सबसे अधिक समर्पित किये गये दर पर कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में तीसरे सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदादाता से प्रथमतया सबसे अधिक प्राप्त दर पर कार्य करने हेतू सहमति प्राप्त की जायेगी। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य आवंटन हेतू अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले सफल निविदादाता द्वारा कार्य करने के मना करने की दिशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

1.11 चयनित सफल उम्मीदवार/ निविदादाता को औपबंधिक Letter of Award (LOA) / निर्गत किया जायेगा। औपबंधिक Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संघ में जमा करना होगा।

1.12 आवंटी को रू0 1,00,000.00 (एक लाख रूपये) की सुरक्षा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल प्रति) के रूप में संघ के कार्यालय में जमा करना होगा।
उपरोक्त सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात औपबंधिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।

1.13 यदि कोई चयनित उम्मीदवार को औपबंधिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत किया जाता है एवं औपबंधिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त उनके द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रू0 10,000.00 (दस हजार) जब्त कर ली जायगी।

1.14 संघ द्वारा अनुबंध के तहत अंतिम रूप से चयनित आवेदको को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा होल–डे मिल्क पार्लरों का संचालन हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा, जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री ऑकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

1.15 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरान्त भी यदि पात्रता मापदण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियॉ पाई जाती है तो इस स्थिती में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

(2) <u>पात्रता मापदण्ड :–</u>

2.1 शैक्षणिक योग्यता :— न्यूनतम साक्षर (प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)

2.2 आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। (आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

2.3 उम्र :— निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम—21 वर्ष।

2.4 आधार कार्ड संख्याः—..(पहचान के प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

2.5 आवेदक को ''स्व घोषणा प्रमाण पत्र'' संलग्न करना होगा, जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा किः—

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल—डे मिल्क पार्लर का आवंटी हुँ/हैं या नहीं।
2. (अ) मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, बरौनी या कॉम्फेड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हुँ/हैं या नहीं।
   (ब) यदि 2 (अ) का उत्तर हों हैं, तो निम्न ब्यौरा सहित स्वघोषणा पत्र समर्पित करें।
   मैं (आवेदक का नाम)...स्वघोषित करता हुँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती (कार्यरत कर्मी का नाम) ....(संघ/इकाई का नाम) ....(पदनाम) ....के पद पर (पदस्थापन का स्थान) ....में कार्यरत है, एवं मेरे (आवेदक के साथ सम्बन्ध)...........................है।
   (उदाहरणार्थ :— मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्वघोषित करता हुँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती रणवीर कुमार सिंह जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर के डेयरी वर्कर के पद पर सीवान में कार्यरत हैं, मेरे पिता है।)
   ऐसे आवेदक, (1) जिन्हे स्वंय या उनके परिवार में किसी सदस्य को पूर्व से होल—डे मिल्क पार्लर आवंटित है, उन्हे अथवा उनके परिवार के सदस्यों एवं (2) कॉम्फेड या कॉम्फेड के सम्बद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत वर्तमान कर्मी को इस योजना के अन्तर्गत होल—डे मिल्क पार्लर का आवंटन नहीं किया जायेगा।
   (स्वघोषण पत्र का प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न है।)

2.6 रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अग्रधन राशि :— आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क (गौर वापसी योग्य) सभी वर्गों के लिए रू0 1000.00 (एक हजार) एवं अग्रधन की राशि रू0 10,000.00(दस हजार) निर्धारित है। आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन राशि के रूप में आवेदन के साथ अलग—अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन की राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.7 आवेदनकर्ता निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि एवं अग्रधन राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, बरौनी के नाम पर निर्गत एवं भुगतेय हो, संलग्नित करेंगे।

2.8 वितीय योग्यता :– (व्यवसाय हेतू आवेदक के पास न्यूनतम राशि रू0 1,00,000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा–फिक्सड डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वंय के खाते में रू0 1,00,000.00 की राशि जमा रहने के प्रमाण (पासबुक की प्रथम पृष्ट की छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं0 दर्ज हो तथा सम्बन्धित पृष्ट जिसमें राशि जमा रहने को प्रमाण अंकित हो) या सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।

2.9 आवेदक को स्वस्थ होना आवश्यक है। संघ द्वारा मॉग किये जाने पर आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रदान करना होगा।

2.10 असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि रू0 10,000.00 वापस कर जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

2.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरान्त, कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा राशि रू0 1,00,000.00 (एक लाख) (वापसी योग्य) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। अंतिम रूप से चयनित आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि रू0 10,000.00 (दस हजार) को सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे रू0 90,000.00 (नब्बे हजार) आवंटी को जमा करना होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

2.12 चयन के उपरान्त सफल उम्मीदवार को एक माह के भीतर पैन कार्ड एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।

2.13 पात्रता मानदण्ड के तहत् बिन्दु सं0–2.1 से 2.9 तक अनिवार्य सभी पात्रता मानदण्ड शर्तों को पूरा करना होगा। मानदण्ड शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन की प्रक्रिया के लिए **विचार** नहीं किया जायेगा।

2.14 तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता का वितीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उनका वितीय निविदा नहीं खोला जायेगा।

2.15 आवंटी कॉम्फेड या कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई के एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आवंटी कॉम्फेड या कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई के कर्मचारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी स्वंय को स्थापित नहीं करेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

2.16 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरान्त भी यदि पात्रता मानदण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कार्य विसंगतियों पाई जाती है तो इस स्थिती में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर जी जायेगी।

2.17 आवंटी/संचालक को संघ के साथ रू0 1000/– के नन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा समपादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप संबंधित संघ/ इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्री फेब्रीकेटेड सुधा होल–डे मिल्क पार्लर संचालन हेतू standard Operating Procedure (S.O.P)

3.1 बिक्री हेतु सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के संचालन का समय सुबह 6:00 बजे से रात्री 9:00 बजे तक निर्धारित रहेगा।

3.2 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर संचालक को मार्ग प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुग्ध उत्पाद प्राप्त करना होगा।

3.3 प्रत्येक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर कॉम्फेड के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबंधन संघ से सम्बन्धित विपणन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा। सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पतियों का अधिकार देशरत्न दुग्ध संघ, बरौनी को होगा।

3.4 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा ब्राण्ड की पहुँच बढ़ाने हेतु प्रत्येक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का बिक्री लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए संघ द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3.5 आवंटी/संचालक को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पदों की अधिकतम रेंज रखनी होगी। किसी अन्य उत्पाद या ब्राण्ड के उत्पादों को तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक की उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति नहीं दी जाती है।

3.6 आवंटी/ संचालक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए संघ द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नियुक्त वितरक के माध्यम में दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे। आपके द्वारा किसी अन्य वितरक से सुधा उत्पादों को क्रय नहीं किया जायेगा।

3.7 आवंटी/संचालक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादो का भुगतान सम्बन्धित वितरक को अग्रिम रूप में किया जायेगा।

3.8 आवंट/संचालक को संघ द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P) पर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करना होगा तथा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के सामने एम.आर.पी की सूची प्रदर्शित करनी होगी।

3.9 चयनित आवंटी/संचालक को सुधा होल–डे मिल्क पार्लर परिसर के पास –सफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी हेगी।

3.10 इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय–समय पर सर्विसिंग/रख–रखाव आवंटी/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

3.10 चयनित आवंटी/संचालक द्वारा होल–डे मिल्क पार्लर परिसर के समीप अस्थायी स्टॉल का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।

3.12 विशेष अवसरो हेतु आवंटी/संचालक को अपने सम्बन्धित वितरकों को अधिक मॉग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।

3.13 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर किसी भी दिन बन्द नहीं होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर आवंटी/संचालक द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को पूर्व में सूचना प्रदान की जायेगी।

3.14 दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय आवंटी/संचालक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की गुणवता और मात्रा की जॉच अवश्य करनी हेगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.15 चयनित आवंटी/संचालक ग्राहकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहुँचाने के लिए होम डिलेवरी व्यक्ति व पुश कार्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते है, जिनको चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।

3.16 आवंटी/संचालक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के बेहतर संचालन हेतू अधिकतम दो सेल्स मैन को नियुक्त कर सकते है, जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। सेल्स मैन का वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।

3.17 आवंटी/संचालक को उन वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा, जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। आवंट/संचालक को सभी उत्पादों की अधिकतम बिक्री करने का प्रयास करना होगा।

3.18 सम्बन्धित क्षेत्र विरतक के द्वारा यदि आवंटी/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते है या सम्बन्धित क्षेत्र के वितरक के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो ऐसे मामलों को आवंटी/संचालक द्वारा संघ के सम्बन्धित सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उठाया जायेगा।

(4) रख–रखाव एवं अन्य शुल्को का भुगतानः–

4.1 आवंटी/संचालक को Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति रिकार्ड हेतु संघ को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।

4.2 आवंटी/संचालक को निविदा के आलोक में देय आवंटित मासिक किराया/दर प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व सम्बन्धित संघ के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित मासिक आवंटित दर में प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किराया यदि भूमि के लिए उसे आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

4.3 आवंटी/संचालक को बिजली बिल, मासिक रख–रखाव किराया/दर, पानी शुल्क तथा अन्य वैद्यानिक खर्च प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व संघ में जमा करना होगा एवं बिल की छाया प्रति सम्बन्धित संघ को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिजली व पानी आदि का कनेक्शन आवंटी को स्वंय के नाम पर लेना आवश्यक होगा।

4.4 आवंटी/संचालक को सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पति के साथ सुधा होल–डे मिल्क पार्लर भवन का बीमा कराना चाहिए तथा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण संघ को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4.5 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा अधिकतम डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद/बिक्री की जानी चाहिए।

4.6 न्युनतम मासिक किराया निर्धारण

H-I मोड पर निविदा निकालने के पूर्व होल–डे मिल्क पार्लर का न्यूनतम मासिक किराया निर्धारित किया जा सकता है। न्यूनतम मासिक किराया निर्धारित किया जा सकता है। न्यूनतम मासिक किराया निर्धारण हेतु बिहार राज्य के सभी शहरों को X,Y,& Z वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

बिहार राज्य के 2011 के जनगणना के मद्देनजर X वर्ग में जिसकी शहरी आबादी 3.50 लाख से अधिक है, को रखा गया है जिसमें राज्य के 4 शहर पटना, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर शामिल है।

Y वर्ग में जिसकी शहरी आबादी 2.00 लाख से 3.50 लाख के बीच है, को रखा गया है एवं इसमें राज्य के 13 शहर बिहारशरीफ, दरभंगा, बेगुसराय, कटिहार, प0चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, आरा, मुंगेर एवं सासाराम शामिल है।

Z वर्ग में जिसकी शहरी आबादी 2.00 लाख से कम है, को रखा गया है एवं इसमें राज्य के 21 शहर अररिया, अरबल, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, नवादा, शिवहर, सीतामढ़ी, भभुआ, शेखपुरा, सीवान एवं हाजीपुर शामिल है।

- आवंटित स्थलों पर मिल्क पार्लर के निर्माण स्थलों के अनुरूप होल–डे मिल्क पार्लरों को A,B&C वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

  X वर्ग के शहरों हेतु मासिक किराये का निर्धारणः–

  A वर्ग के मिल्क पार्लर ....इस वर्ग हेतु X वर्ग के निर्धारित जिले के मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग के किनारे, शहर के मुख्य चौक, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के परिसर अथवा गेट के आस–पास, शहर के मुख्य रेलवे स्टशेन या स्टेशन के आस–पास, मुख्य बस स्टैण्ड परिसर एवं उसके मुख्य गेट के आस–पास स्थित मिल्क पार्लर को शामिल करते हुए न्यूनतम किराया रू0 3000.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

  B वर्ग के मिल्क पार्लर ....इस वर्ग में X वर्ग निर्धारित जिले के जिला स्तरीय अस्पताल, जिला स्तरीय निबंधन कार्यालय, जिले के मुख्य पर्यटक स्थल, शहर के मुख्य पार्क के परिसर या उसके आस–पास एवं जिला समाहरणालय के परिसर व आस–पास, शहर के अन्य मुख्य बड़े सरकारी कार्यालयों के निकट, शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के आस–पास को छोड़कर शहरी क्षेत्र अन्य रेलवे स्टेशन के आस–पास, शहर के मुख्य बस स्टैण्ड परिसर एवं उसके मुख्य गेट के आस–पास को छोड़कर अन्य बस स्टैण्ड के निकट स्थित पार्लर को शामिल करते हुए न्युनतम किराया रू0 2500.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया हैं।

- C वर्ग के मिल्क पार्लर ....इस वर्ग में X वर्ग के निर्धारित जिले के अनुमंडल, प्रखण्ड व पंचायत व समतुल्य स्तरीय अस्पताल, अनुमंडल, प्रखण्ड व पंचायत व समतुल्य स्तरीय निबंधन कार्यालय, जिले के मुख्य पर्यटक स्थल को छोड़कर, शहर के मुख्य पार्क के परिसर या उसके आस–पास को छोड़कर अन्य सभी पार्कों के निकट एवं शहर के अन्य सभी छोटे सरकारी कार्यालयों के निकट, जिले के अन्य अनुमंडल, प्रखण्ड या समतुल्य स्तर के सभी रेलवे स्टेशन या स्टेशन के

आस–पास, बस स्टैण्ड परिसर एवं उसके मुख्य गेट के आस–पास स्थित मिल्क पार्लर को शामिल करते हुए न्यूनतम किराया रू0 1000.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

Y वर्ग के शहरों हेतु मासिक किराये का निर्धारणः–

Y वर्ग हेतु निर्धारित जिले के A वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 2000.00 प्रतिमाह, B वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 1500.00 प्रतिमाह, C वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 750.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

Z वर्ग के शहरों हेतु मासिक किराये का निर्धारणः–

Z वर्ग हेतु निर्धारित जिले के A वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 1500.00 प्रतिमाह, B वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया 1000.00 प्रतिमाह, C वर्ग के मिल्क पार्लर हेतु न्यूनतम किराया रू0 750.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

(5) प्री–फेब्रीकेटेड सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का समापनः–

5.1 आवंटित सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल प्रारंभ होने की गणना एकरारनामा के तिथि से की जायेगी। प्रदर्शन के आधार पर आवंटन कार्यकाल प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवंटी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधा होल–डे मिल्क पार्लर किसी अन्य पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा।

5.2 यदि चयनित आवंटी/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबंध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता हैः–

(क) आवंटी/संचालक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर।

(ख) यदि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ग) यदि आवंटी/संचालक द्वारा ग्रहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।

(घ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को उप–पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।

(ड़) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (एम0आर0पी0) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(च) यदि संघ/कॉम्फेड द्वारा आवंटित सुधा मिल्क सुधा होल–डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।

5.3 संघ एवं आवंटी/संचालक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि संघ को ज्ञात होता है कि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड/संघ या सुधा ब्राण्ड या ग्रहकों के हित के विरूद्ध कोई कार्य किया जाता रहा है, जिससे कॉम्फेड/संघ या सुधा ब्राण्ड की छवि खराब हो रही है।

5.4 आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को सरेंडर करने की स्थिती में आवंटी/संचालक द्वारा संघ को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।

5.5 पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवेदकों के चयन की पूर्व के प्रक्रिया के तहत की जायेगी।

5.6 अनुबंध की समाप्ति के बाद, यदि सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को संचालक/आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब ऐसी स्थिती में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनाधिकृत कब्जा माना जायेगा, जिसमें प्रतिदिन रू0 100.00 दण्डात्मक रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु आवंटी/संचालक उतरदायी होगा। दण्डात्मक किराये की गणना सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के अनाधिकृत कब्जे के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगीं।

5.7 आवंटन समाप्ति की दशा में सभी मशीनरी, उपकरण, ब्रांडिग सामग्री और फिटिंग आदि के साथ सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को दो प्रतियों में हैण्डओभर और टेक ओभर के माध्यम से सम्बन्धित संघ या चयनित नये आवंटी/संचालक को सौंप दिया जायेगा, जिस पर संघ के प्रतिनिधि एवं आवंटी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

5.8 आवंटन समाप्ति की दशा में पुराने आवंटी/संचालक के परिवर्तन के समय पुराने आवंटी/संचालक के द्वारा की सभी बकाया राशि का निपटान एवं होल–डे मिल्क पार्लर में स्थित सभी स्टॉक का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर में लगाये/दिये सभी सम्पतियों का निरीक्षण संघ के अधिकृत सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि व कमी पाये जाने पर पुराने आवंटी/ संचालक के उसकी क्षतिपूर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

(6) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा संघ को वस्तु स्थिति की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संघ द्वारा सुधा होल–डे पार्लर संचालन हेतु दिये गये कार्यादेश/सम्पादित किये गये एकरारनामा के आलोक में सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जा सकते है।

(ख) इस धारा/उपबन्ध/खण्ड "अप्रत्याशित घटना"(Force Majeure) को शामिल करने का उद्देश्य वैसी घटनाओं, परिस्थितियों में सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के सुचारू संचालन से है, जो आवंटी/संचालक या संघ के नियंत्रण से बाहर है एवं उसमें आवंटी/ संचालक या संघ की लापरवाही या भूमिका शामिल नहीं है। हड़ताल, दुर्घटना, आगजनी, बाढ़, आँधी–तुफान, भूकम्प, माहमारी अथवा शासन के आदेश या घोषण के अनुपालनार्थ या वैसी परिस्थिती **जाँह** सम्बन्धित सभी पक्षों के नियंत्रण में न हों, को शामिल करना है।

(7) किसी भी विवाद की स्थिती में सम्बन्धित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की स्थिती में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम–(Arbitration & Conciliation Act-1996) के निहित प्रावधान के अनुरूप होगा। कानूनी मामलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र बेगूसराय होगा।